न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 122/2022

1 गीगराज पुत्र हनुमान सैनी उम्र 57 साल जाति माली निवासी चोबदारों की ढाणी, सैनीनगर तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सुभाषचन्द्र उम्र 60 साल पुत्र हनुमान सैनी जाति माली निवासी चौबदारों की ढाणी सैनी नगर तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

2 बीरबलराम पुत्र बोदूराम जाति माली निवासी कानाकावाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

3 गिरधारी पुत्र मांगूराम सैनी जाति माली निवासी मपाणकरामजी की ढाणी सैनी नगर तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

4 तहसीलदार लैण्ड होल्डर नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक
08.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
उनवानी गीगराज बनाम सुभाष वगे. मु.नं. 52/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सिगोदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम नवलड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1014 के संदर्भ में घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया अनुसार तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित नहीं किया है। अपितु प्रतिवादी के आवेदन आदेश 15 नियम 01 पर सुनकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। विधिक प्रक्रिया के विपरित है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसमें यह भी अंकित किया है कि वादपत्र मय शपथ पत्र आदेश का भाग होगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसमें यह भी अंकित किया है कि वादपत्र मय शपथ पत्र आदेश का भाग होगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर